



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2015—आषाढ़ 26, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2015

स्पष्टीकरण

क्रमांक एफ-4 (बी) 1-2014-ए-सोलह.—चूंकि, राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न नियोजनों में अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरें अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1-2014-ए-सोलह, दिनांक 15-5-2015 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 22-5-2015) जारी कर दिनांक 1 जून 2015 से प्रभावशील की गई है। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 22 मई 2015 के पैरा-2 में “इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर 2014 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निष्प्रभावी करते हुए ” के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर 2014 के निष्प्रभावी होने का तात्पर्य केवल अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की वेतन दरों को निष्प्रभावी किये जाने से है। शेष अन्य श्रमिकों यथा अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणियों के श्रमिकों की वेतन दरों को निष्प्रभावी नहीं किया गया है।

उक्त संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत सर्व-संबंधितों के सूचनार्थ जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1-2014-ए-सोलह, दिनांक 8 जनवरी 2015 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16 जनवरी 2015) में विभिन्न नियोजनों में केवल अकुशल श्रेणी के लिए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों को संशोधित कर पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था, न कि श्रमिकों की सभी श्रेणियों के लिए मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 27 मार्च 2015 में सिर्फ अकुशल श्रेणी के वेतन दरों में संशोधन हेतु विचार-विमर्श किया जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2015 जारी की गई है। अतएव अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर 2014 को निष्प्रभावी करने का आशय इस अधिसूचना के अन्तर्गत केवल अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की वेतन दरों के निष्प्रभावी होने से है तथा श्रमिकों की शेष श्रेणियों अर्थात् अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणियों की न्यूनतम वेतन दरें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4बी-1-2014-सोलह, दिनांक 29 सितम्बर 2014 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 अक्टूबर 2014) द्वारा जो निर्धारित की गई थीं, वे यथावत् हैं और उन पर समय-समय पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़कर श्रमायुक्त द्वारा 1 अप्रैल 2015 से प्रशासकीय आदेश क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/9290-589, दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा जारी की गई दरें यथावत् प्रभावशील हैं।

अतएव उक्त स्थिति सर्व-संबंधितों के सूचनार्थ स्पष्ट की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव।

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2014

1. प्रस्तावना :-

राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है। उक्त नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों हेतु प्रावधान किए गए हैं। राज्य शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 में उल्लेखित सुविधाएं प्रदान करने की व्यष्टि से "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" लागू करता है।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्रम :-

- 2.1 यह योजना दिनांक 01.10.2014 से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।
- 2.2 ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम जिनके लिए उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत प्रोत्साहन का कोई पैकेज पहले स्वीकृत किया गया है, या जिसका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.10.2014 के पूर्व का है, उन्हें इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता नहीं होगी, लेकिन उन्हें उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत जैसी भी स्थिति हो, सुविधाओं हेतु पात्रता होगी।
- 2.3 दिनांक 01.10.2014 को या इसके पश्चात किन्तु उद्योग संवर्धन नीति 2010 की समापन तिथि से एक वर्ष के अन्दर अर्थात् दिनांक 31.10.2016 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 या उद्योग संवर्धन नीति 2010 के तहत प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतंत्रता होगी तथापि एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। परंतु दिनांक 01.10.2014 को या इसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली टेक्सटार्डेल इकाईयों को वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहनों का पैकेज छुलने की स्वतंत्रता

नहीं होगी। उन्हें केवल उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत सहायता/सुविधाएं पाने की पात्रता होगी।

- 2.4 पूर्व प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति(यों) एवं टैक्सटाईल उद्योगों के लिए विशेष पैकेज अंतर्गत सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति(यों) एवं उक्त विशेष पैकेज अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2014" में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. परिभाषायाँ :-

- 3.1 "विभाग" से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन का वाणिज्य, उद्योग और रोज़गार विभाग।
- 3.2 "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम/औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसकी स्थापना हेतु राज्य शासन से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत विनिर्माण (manufacturing) उद्यम हेतु ई. एम. पार्ट - 2 जमा कर अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया हो एवं

क्र.	इकाई का प्रकार	विवरण
1	सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रुपये से कम का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम
2	लघु स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रुपये और 5 करोड़ रुपये के बीच का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम
3	मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी में 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये के बीच का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम

- 3.3 (अ) "नई औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई जो मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में स्थापित हो एवं जिसमें दिनांक 01.10.2014 को अथवा उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो।

(ब) "विद्यमान औद्योगिक इकाई" से आशय ऐसी इकाई से है, जिसमें दिनांक 01.10.2014 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस योजना के शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हो।

- 3.4 "नई/विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन" से तात्पर्य होगा, इकाई द्वारा पूर्व में संयंत्र एवं मशीनरी में किये गए पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत, जो रु. 25.00 लाख से कम नहीं हो, का पूंजी निवेश कर किया गया विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, परंतु इस प्रकार किये गये विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन से इकाई द्वारा अपनी पूर्व स्थापित क्षमता से अतिरिक्त क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हो।
- 3.5 "पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश" से तात्पर्य औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा औद्योगिक इकाई में मूल वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश जो भी अधिक हो, से होगा।"
- 3.6 "पूर्व स्थापित क्षमता" से तात्पर्य औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक उत्पादन का औसत या इकाई की मूल वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के समय स्थापित क्षमता, इसमें से जो भी अधिक हो, से है।
- 3.7 "स्थायी पूंजी निवेश" से अभिप्रेत है संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया पूंजी निवेश।
- 3.8 "संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश" से तात्पर्य इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी, भवन और शेड में किया गया निवेश, किन्तु इसमें भूमि और रिहायशी इकाईयां (Dwelling Units) शामिल नहीं होगी।
- 3.9 "मूल्य संवर्धन कर (VAT)" से तात्पर्य मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2002 के सेक्शन 2 अंतर्गत परिभाषित मूल्य संवर्धन कर से है।

- 3.10 'केन्द्रीय विक्रय कर" से तात्पर्य केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की प्रस्तावना में उल्लेखित विक्रय कर से है।
- 3.11 'प्रवेश कर" से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 1976 के सेक्षण 2 अंतर्गत परिभाषित प्रवेश कर से है।
- 3.12 'विद्युत शुल्क" से तात्पर्य म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के ग्रिड से प्रदाय विद्युत की खपत पर लगने वाले शुल्क से है।
- 3.13 'मण्डी शुल्क" से तात्पर्य म. प्र. राज्य की कृषि उपज मण्डी को अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय हेतु चुकाए गए शुल्क से है।
- 3.14 'पूंजी अनुदान" से तात्पर्य इकाई स्थापना हेतु किए गए स्थायी पूंजी निवेश पर दिए गए अनुदान से है।
- 3.15 'ब्याज अनुदान" से तात्पर्य इकाई स्थापना हेतु वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त टर्म लोन पर देय ब्याज पर दिए गए अनुदान से है।
- 3.16 "टेक्सटाईल परियोजना" से अभिप्रेत निम्नलिखित औद्योगिक इकाईयों से है :-
1. कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग
 2. सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग
 3. बूल स्कोरिंग, कॉम्बिंग एवं कालीन उद्योग
 4. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग एवं ट्वीस्टिंग
 5. स्पिनिंग
 6. विस्कोज स्टेपल फाइबर (व्ही.एस.एफ.) एवं विस्कोज फिलोमेंट यार्न (व्ही.एफ.वाय.)
 7. व्हीविंग, निटिंग एवं फेब्रिक कसीदाकारी
 8. टेक्नीकल टेक्सटाईल नॉन बूवेन सहित
 9. गारमेंट/डिजाइन स्टूडियो/मेड-अप विनिर्माण
 10. फाइबर, यार्न, फेब्रिक, गारमेंट एवं मेड-अप का प्रसंस्करण
 11. जूट उद्योग

3.17 "TUFS" से अभिप्रेत है :-

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी 71, नई दिल्ली नवम्बर, 2007 (समय समय पर हुए संशोधन सहित) में वर्णित TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme)।

3.18 "वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है:-

सहकारी केन्द्रीय बैंक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, शेड्यूल्ड बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या अन्य वित्तीय संस्था जो राज्य शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु मान्य की जावे।

3.19 "टर्मलोन" से अभिप्रेत है :-

स्थिर आस्तियाँ (Fixed Assets) के लिये वित्तीय संस्था/बैंक से प्राप्त किया गया क्रूण।

3.20 "उत्पादन दिनांक" से तात्पर्य इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात् प्रथम विक्रय देयक की दिनांक से है।

3.21 "प्राथमिकता विकास खण्ड" से अभिप्रेत है :-

राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.10.2014 की स्थिति में अधिसूचित ऐसा विकासखण्ड, जहां कोई वृहद/मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई नहीं है।

3.22 "निवेशक" से अभिप्रेत है :-

ऐसा व्यक्ति/भागीदार/संस्था/कंपनी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु निवेश कर उसमें वाणिज्यिक उत्पादन, दिनांक 01.10.2014 या उसके पश्चात प्रारंभ कर दिया गया हो/प्रस्तावित हो अथवा मध्यप्रदेश में अपेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य दिनांक 01.10.2014 को या उसके पश्चात प्रारंभ किया गया हो/प्रस्तावित हो।

3.23 'उद्योग आयुक्त' से अभिप्रेत है

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोज़गार विभाग के अधीन भ.प्र., उद्योग संचालनालय के आयुक्त से है।

3.24 "परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी" से अभिप्रेत है :-

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन "परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय" के अपर/संयुक्त संचालक उद्योग से है।

3.25 "महाप्रबंधक" से अभिप्रेत है :-

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक से है।

3.26 "जिला स्तरीय सहायता समिति" से अभिप्रेत निम्नानुसार गठित समिति से है :-

i.	कलेक्टर	अध्यक्ष
ii.	अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय	उपाध्यक्ष
iii.	अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM)	सदस्य
iv	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर अथवा उनके प्रतिनिधि जो वाणिज्यिक कर अधिकारी के स्तर से कम न हो (केवल प्रवेश कर छूट व वैट और सीएसटी सहायता से संबंधित प्रकरणों में)	सदस्य
v.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य- सचिव

टीप :- समिति की बैठक का कोरम 3 का होगा। परंतु प्रवेश कर व वैट और सीएसटी सहायता से संबंधित प्रकरणों में बिंदु iv में उल्लेखित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

स्पष्टीकरण :-

- 4.1 इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए लागू है।
- 4.2 यदि मध्यप्रदेश शासन की एक से अधिक ऐसी नीतियाँ एक ही प्रकार का प्रोत्साहन/रियायत प्रदान करती हों तो नियेशक केवल एक ही नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

- 4.3 यदि कोई विनिर्माण इकाई इस नीति के अंतर्गत पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है तो वह इस शर्त के साथ ऐसा कर सकेगी कि वह, उनके द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये पूँजी निवेश से ज्यादा अनुदान प्राप्त न कर सके।
- 4.4 कोई भी एमएसएमई जिसने 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' या 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त की हो, वह इस पैकेज के अंतर्गत समान प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी।
- 4.5 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली इकाईयों को नवीन औद्योगिक इकाईयों के समान सुविधाओं/सहायता की पात्रता होगी एवं पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से सूक्ष्म व लघु उद्योगों की स्थिति में पिछले 1 वर्ष तथा मध्यम उद्योगों की स्थिति में पिछले 2 वर्षों के दौरान संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश से किया जाएगा।
- 4.6 इस नीति में उल्लेखित समय-सीमा में जिला स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेंगी।
- 4.7 म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्र. एफ-16-11/2014-बी-ज्यारह, दिनांक 01.10.2014 से जारी उद्योग संवर्धन नीति 2014 के परिशिष्ट-IV में शामिल उद्योग इस योजना अंतर्गत सुविधा/सहायता हेतु अपात्र होंगे। (परिशिष्ट-1)

5. जिला स्तरीय सहायता समिति का दायित्व

- 5.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का यह दायित्व होगा कि वह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन का वितरण सुनिश्चित करे। इस नीति अंतर्गत भूमि के अधोसंरचना विकास हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति तथा हरित औद्योगिकरण हेतु प्रावधानित सहायता को छोड़कर शेष सभी प्रोत्साहन सहायता की प्रथम बार स्वीकृति जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी।
- 5.2 समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी। समिति ध्यान में लाये जाने पर या स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकेंगी, किन्तु इस प्रकार लिये गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई तथा उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5.3 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत आवेदन व्यावसायिक उत्पादन दिनांक से 90 दिन के भीतर निवेशक को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट- 2) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार अनुलग्नक इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट- 3 में शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

5.4 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों से इकाई का निरीक्षण तथा दी गई जानकारी का यथासंभव सत्यापन कराया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन में अन्य सभी सुसंगत बातों के अलावा निम्न बातों का समावेश आवश्यक होगा :-

- (i) निवेशक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी पर किया गया निवेश (टफ अंतर्गत अनुमोदित संयंत्र एवं मशीनरी पर किया गया निवेश पृथक से, यदि लागू हो तो)
- (ii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक एवं उत्पादनरत रहने का सत्यापन
- (iii) प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक
- (iv) औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास पर व्यय।
- (v) औद्योगिक इकाई द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन की जानकारी।
- (vi) ब्याज अनुदान के प्रकरण में नियमित किश्त अदायगी की पुष्टि
- (vii) अपेरल प्रशिक्षण संस्थान के प्रकरण में स्थापना व्यय

5.5 समुचित विचारोपरान्त जिला स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वे संलग्न परिशिष्ट-4 अनुसार उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करें। समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश समिति के सचिव द्वारा जारी किया जायेगा। इस स्वीकृति आदेश में निम्न बातों का उल्लेख होगा :-

- (i) वैट और सीएसटी प्रतिपूर्ति, प्रवेश कर से छूट, विद्युत शुल्क से छूट, मंडी शुल्क से छूट, पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान।
- (ii) विभिन्न प्रकार की छूट हेतु अधिकतम सीमा।

- (iii) प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता राशि का प्रतिशत, मापदण्ड।
- (iv) अपेरल प्रशिक्षण संस्थान के प्रकरण में देय सहायता राशि।
- (v) अन्य कोई सहायता जो नीति अंतर्गत देय हो।

पूँजी अनुदान :-

- 6.1 सूक्ष्म एवं लघु स्तर की औद्योगिक इकाईयों को संयंत्र और मशीनरी में किये गये पात्र निवेश का 15 प्रतिशत, अधिकतम 15 लाख रुपये पूँजी अनुदान दिया जाएगा। परंतु निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी -
- (i) नगर निगम की अधिसूचित सीमा।
 - (ii) नगर/शहर, जिनकी आबादी 3 लाख या अधिक हो (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)।
- उक्त कण्ठिका (i) एवं (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों में राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्रों एवं संस्थानों में स्थापित उद्योगों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।
- 6.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की वस्त्र उद्योग इकाईयों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (TUFS) में अनुमोदित संयंत्र और मशीनरी में अधिकतम एक करोड़ रुपए तक, पात्र निवेश का दस प्रतिशत निवेश अनुदान दिया जायेगा।
- 6.3 सूक्ष्म एवं लघु स्तर की वस्त्र उद्योग इकाई को कण्ठिका 6.1 या 6.2 में उल्लेखित किसी एक सहायता को चुनने की स्वतंत्रता होगी। परंतु यदि सूक्ष्म एवं लघु स्तर की वस्त्र उद्योग इकाई द्वारा कण्ठिका 7.2 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन दिया है/लाभ प्राप्त किया है तो उसे कण्ठिका 6.1 में उल्लेखित सहायता का लाभ पाने की पात्रता नहीं होगी।
- 6.4 सूक्ष्म और लघु स्तर के फार्मास्युटिकल विनिर्माण उद्यमों को नई इकाईयों के समकक्ष निवेश में सहायता मिलेगी यदि ये इकाईयां अतिरिक्त 10 लाख रुपए या विद्यमान निवेश की 50 प्रतिशत राशि संयंत्र और मशीनरी (इनमें से जो अधिक हो) विस्तार/शब्दीकरण के लिये निवेश करती हैं।
- 6.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को निवेश अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में

शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित ज़िला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) ज़िला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम पार्ट 2 जमा करने पर दी गई अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
- (ii) संयंत्र और मशीनरी में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों)
- (iv) वस्त्र इकाई के प्रकरण में -
 - (अ) टफ्स (TUFS) अंतर्गत मान्य प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश संबंधी दस्तावेज (मय सूची के)
 - (ब) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र।

6.6 ज़िला स्तरीय सहायता समिति के अनुमोदन उपरांत महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा निवेशक को देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

7. व्याज अनुदान -

7.1 पात्र इकाइयों को निम्नानुसार सावधि ऋण (Term Loan) पर व्याज अनुदान सहायता दी जाएगी :-

इकाई का प्रकार	व्याज अनुदान
सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 3 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए
लघु स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 4 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए
मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 5 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए

- 7.2 नवीन टेक्सटाईल इकाई को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपये 5 करोड़ की सीमा तक ब्याज अनुदान की सहायता दी जाएगी।
- 7.3 नवीन टेक्सटाईल इकाई को कण्डिका 7.1 या 7.2 में उल्लेखित किसी एक सहायता को चुनने की स्वतंत्रता होगी। परंतु यदि नवीन टेक्सटाईल इकाई द्वारा कण्डिका 6.2 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन दिया है/लाभ प्राप्त किया है तो उसे कण्डिका 7.1 में उल्लेखित सहायता का लाभ पाने की पात्रता नहीं होगी।
- 7.4 टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था द्वारा कण्डिका 7.1 अंतर्गत सहायता हेतु परिशिष्ट-5 तथा कण्डिका 7.2 अंतर्गत सहायता हेतु परिशिष्ट-6 अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम संबंधित जिला च्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिशिष्ट-5/6 अनुसार प्रपत्र में क्लेम टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था से प्राप्त कर संबंधित जिला च्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा। क्लेम पत्रक जिस बैमास से संबंधित है उस बैमास की समाप्ति के 90 दिवस के भीतर संबंधित जिला च्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।
- 7.5 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूँजी निवेश, पात्रता अवधि व प्रतिशत के संबंध में निर्णय लेकर ब्याज अनुदान सुविधा स्वीकृत करेगी।
- 7.6 किसी इकाई को जिला स्तरीय सहायता समिति से एक बार सुविधा अनुमोदित होने के बाद महाप्रबंधक, जिला च्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे संपूर्ण पात्रता अवधि में वितरित करने के लिए सक्षम होंगे अर्थात् किसी इकाई को एक बार समिति द्वारा सुविधा अनुमोदित होने पर उसके प्रकरण में वित्तीय संस्था से बैमासिक क्लेम प्राप्त होने पर उसकी बैमासवार स्वीकृति पुनः समिति से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु स्थायी पूँजी निवेश में परिवर्तन होने पर वितरण हेतु समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
- 7.7 महाप्रबंधक द्वारा ब्याज अनुदान हेतु परिशिष्ट-7 में स्वीकृति-सह-वितरण आदेश जारी किया जायेगा।

8. परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति :-

- 8.1 यदि नियेशक परियोजना स्थापना हेतु निजी भूमि अधिगृहित करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है तो ऐसी इकाईयों को बिजली, पानी, सड़क अधोसंरचना विकास के लिए प्रत्येक मद हेतु अधिकतम एक करोड़ की सीमा तक अधोसंरचना विकास में हुए व्यय की 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जायेगी। सूक्ष्म एवं लघु स्तर की औद्योगिक इकाईया इस सहायता हेतु पात्र नहीं होगी।
- 8.2 जिस अधोसंरचना के विकास के व्यय हेतु प्रतिपूर्ति चाहीं गई है उसका विकास दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 के पश्चात हुआ हो एवं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक के बाद का नहीं हो।
- 8.3 इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.10.2014 से उद्योग संवर्धन नीति 2014 के संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक का होना चाहिये।
- 8.4 इस सुविधा का लाभ उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में किये गये वास्तविक व्यय पर किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जायेंगे :-
 - (i) मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर तक सड़क निर्माण में हुआ व्यय।
 - (ii) पौंछर स्टेशन/विद्युत केन्द्र से उद्योग परिसर तक विद्युतीकरण में हुआ व्यय।
 - (iii) जल स्त्रोत/मुख्य पाइप लाईन से उद्योग परिसर तक जल लाने हेतु पाइप लाईन बिछाने में हुआ व्यय।
 उक्त कार्यों पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा।
- 8.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को अधोसंरचना व्यय में दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार होगा और उसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टड इंजीनियर/ चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (ii) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम पार्ट 2 जमा करने पर दी गई अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
- (iii) निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3)।
- 8.6 महाप्रबंधक द्वारा उपरोक्त आवेदन 30 दिवस में मय अनुशंसा के अपने परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी द्वारा 30 दिवस की समयावधि में अनुमोदन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाकर महाप्रबंधक को प्रेषित किया जाएगा। अनुमोदन की स्थिति में महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा निवेशक को देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
- 9. हरित औद्योगीकरण**
- 9.1 उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) प्रदूषण नियंत्रित युक्तियाँ, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, जल संरक्षण/दोहन आदि की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूँजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाईया इस सहायता हेतु पात्र नहीं होगी।
- 9.2 यह सुविधा एक से अधिक इकाईयों द्वारा संयुक्त रूप से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना पर भी देय होगी।
- 9.3 अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण-पत्र।
- 9.4 अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में हुआ व्यय दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 या उसके पश्चात का होना चाहिए।
- 9.5 इस सहायता हेतु आवेदन करने वाली लघु स्तर की औद्योगिक इकाई द्वारा कण्ठका 6 अंतर्गत सहायता हेतु पात्र होने पर उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु निवेश की गणना में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में हुये व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा अर्थात् अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में हुये

व्यय पर अनुदान कण्ठिका 6 व कण्ठिका 9 में से किसी एक में ही प्राप्त किया जा सकेगा।

- 9.6 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 9.7 आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -3) व चार्ट एकाउण्टेंट का प्रमाणपत्र (अपरिशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत मदवार व्यय सत्यापन सहित) भी देना होगा।
- 9.8 महाप्रबंधक द्वारा उपरोक्त आवेदन 30 दिवस में मय अनुशंसा के अपने परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी द्वारा 30 दिवस की समयावधि में अनुमोदन के संबंध में संमुचित निर्णय लिया जाकर महाप्रबंधक को प्रेषित किया जाएगा। अनुमोदन की स्थिति में महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा निवेशक को देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

10. प्रवेश कर छूट

- 10.1 पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 5 वर्ष तक प्रवेश कर छूट की सहायता दी जाएगी।
- 10.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।
- 10.3 जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति उपरांत प्रवेश कर छूट का पात्रता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट- 8) सचिव, जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी किया जाएगा जो "मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976" की धारा 10 अंतर्गत जारी किया समझा जाएगा।
- 10.4 प्रवेश कर से छूट प्राप्त करने हेतु इकाई वाणिज्यिक कर विभाग के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी होना चाहिए।
- 10.5 वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2010 में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 96, दिनांक 13

दिसम्बर, 2010 वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिए अपरोक्तानुसार संशोधित मान्य होगी।

11. वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति

11.1 रूपये एक करोड़ या उससे अधिक का स्थायी पूँजी निवेश करने वाले पात्र उद्योगों (टेक्सटाईल इकाईयों को छोड़कर) को उनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल निवेश की सीमा तक निर्धारित पात्रता अवधि के दौरान जमा किये गये मूल्य संवर्धित कर (वैट) और केन्द्रीय विक्रय कर (जिसमें कच्चेमाल की खरीद पर मूल्य संवर्धित कर की राशि शामिल नहीं है) की राशि पर इनपुट टैक्स रिबेट समायोजित करने के बाद प्रतिपूर्ति की सहायता दी जायेगी, जो कि 50 प्रतिशत के मान से प्राथमिकता विकास खण्ड में स्थापित उद्योगों को 7 वर्षों तथा अन्य विकास खण्ड में स्थापित उद्योगों को 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी।

यद्यपि रूपये एक करोड़ या उससे अधिक का स्थायी पूँजी निवेश करने वाली टेक्सटाईल इकाईयों को उसके वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से आठ वर्ष के लिए, टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की सीमा तक, निम्नानुसार निवेश संवर्धन सहायता प्रदान की जायेगी :-

कॉटन जीनिंग - जीनिंग कॉटन को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

स्पिनिंग मिल - कॉटन यार्न को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये अभिकलित सकल सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है) - विनिर्माण इकाई द्वारा कॉटन यार्न क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य

या/एवं

रेडीमेड गारमेंट/अपेरल इकाई - रेडीमेड गारमेंट/अपेरल विक्रय करने पर चुकाये गये वैट और सीएसटी के समतुल्य।

11.2 इकाई द्वारा प्रतिवर्ष भुगतान किये जाने वाले कुल मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर की, पात्रता अनुसार 75 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर

विभाग द्वारा जारी कर पुष्टि दस्तावेज के आधार पर की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश के बाद की जाएगी।

- 11.3 किसी भी स्थिति में सहायता राशि संयंत्र एवं मशीनरी, भवन और शेड में किये गये पूँजी निवेश से अधिक नहीं होगी।
- 11.4 इसके अतिरिक्त सहायता राशि म. प्र. शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि से भी अधिक नहीं होगी।
- 11.5 सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई वाणिज्यिक कर विभाग के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी होनी चाहिए।
- 11.6 निवेश संवर्धन सहायता केवल उत्पादित मुख्य उत्पाद, सह-उत्पाद (Bye-Product) एवं उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त बर्ज्य-पदार्थ (Waste materials) के परिप्रेक्ष्य में ही दी जाएगी।
- 11.7 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।
- 11.8 महाप्रबंधक द्वारा जिला स्तरीय साधिकार समिति की स्वीकृति उपरांत कुल पात्रता अवधि एवं कुल पात्रता राशि की सीमा तक प्रतिवर्ष भुगतान किये जाने वाले कुल मूल्य सर्वार्थित कर और केन्द्रीय विक्रय कर की पात्रता अनुसार 75 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर पुष्टि दस्तावेज के आधार पर की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश पश्चात की जाएगी। पात्रता के अंतिम वर्ष में सम्पूर्ण अवधि के अंतिम कर निर्धारण आदेश के आधार पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 11.9 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरान्त महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सामयिक (Periodical) सहायता राशि का वितरण किया जायेगा।

विद्युत शुल्क में छूट

- 12.1 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 4 मार्च, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-23-2013-तेरह में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सभी

पात्र इकाईयों, जिनके द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2014 से दिनांक 03 मार्च, 2019 तक राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों से नवीन उच्च दाब संयोजन प्राप्त किए गए हैं/जायेंगे, को कंडिका 12.2 में दर्शायी कालावधि के लिए ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत के लिए उक्त अधिसूचना की शर्तों के अध्याधीन विद्युत शुल्क के संदाय से छूट की सुविधा उपलब्ध होगी।

- 12.2 नवीन औद्योगिक इकाईयों को 33 केवी कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि तक, 132 केवी कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि तक तथा 220 केवी कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत शुल्क (डयूटी) में छूट दी जायेगी।
- 12.3 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

13. मण्डी शुल्क से छूट

- 13.1 ऐसी सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश कम से कम 50 लाख रुपये हो, को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि (इनमें से जो भी कम हो) के लिए मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी।
- 13.2 शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगे।
- 13.3 मण्डी शुल्क छूट की सुविधा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली इकाईयों पर लागू नहीं होगी।
- 13.4 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।
- 13.5 जिला स्तरीय साधिकार समिति की स्वीकृति उपरांत मण्डी शुल्क से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र सचिव, जिला स्तरीय साधिकार समिति द्वारा परिशिष्ट- 9 अनुसार जारी किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 अंतर्गत देय मण्डी शुल्क से छूट हेतु मान्य होगा।

14. अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सहायता -

- 14.1 निजी संस्था द्वारा अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए स्थायी पूँजी निवेश में किए गए व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 25 लाख होगी।
- 14.2 अपेरल प्रशिक्षण संस्थान म. प्र. शासन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- 14.3 अपेरल प्रशिक्षण संस्थान में एक बार में 50 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा प्रशिक्षण की अवधि तीन माह से कम नहीं होनी चाहिए।
- 14.4 अनुदान प्राप्त करने हेतु, अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के छ: माह पश्चात परंतु एक वर्ष के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट - 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा : -
- (i) म. प्र. शासन से मान्यता प्राप्त संबंधी दस्तावेज
 - (ii) स्थायी पूँजी निवेश के संबंध में चार्टड एकाउण्टेंट/चार्टड इंजीनियर का प्रमाणपत्र (मद्दवार व्यय सत्यापन सहित)।
 - (iii) संस्थान द्वारा आवेदन दिनांक के पूर्व के छ: माहों में दिए गए प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति
- 14.5 जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति उपरांत महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुदान राशि वितरित की जाएगी।
15. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के परिशिष्ट - I (विशेष पैकेज 2014) एवं परिशिष्ट - II (पॉलिसी पैकेज 2014) अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों को सुविधाओं की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (HLC) से या परिशिष्ट - III (मध्य प्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम, 2014) अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों को सुविधाओं की स्वीकृति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) से प्राप्त होने के उपरांत उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता/सुविधा का प्रदाय महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

16. निवेश प्रोत्साहन राशि/सुविधा प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया -

- 16.1 औद्योगिक इकाई को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।
- 16.2 निवेशक द्वारा चाही गई सुविधाओं के सम्बन्धित विश्लेषण उपरांत महाप्रबंधक द्वारा प्रकरण जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
- 16.3 जिला स्तरीय सहायता समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर इस योजनान्तर्गत चाही गई वित्तीय सहायता संबंधी स्वीकृति आदेश महाप्रबंधक द्वारा जारी किये जायेगा। इस स्वीकृति आदेश में उपरोक्त सुविधाओं की दरें, पात्रता अवधि तथा अनुदान-सीमा तीनों का उल्लेख किया जायेगा।
- 16.4 समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता/सुविधा का प्रदाय महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा। महाप्रबंधक ऐसे वितरण करते समय अन्य विभागों से आवश्यकतानुसार उचित परामर्श कर सकेंगे। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान इकाई को बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट/ई-पेमेंट के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में किया जायेगा।
- 16.5 इकाई के प्रकरण में बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-पेमेंट की पावती ही एमएसएमई प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र होगा।
- 16.6 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा निवेश प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से चेक/ड्राफ्ट/ई-पेमेंट वितरण में विलम्ब होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 16.7 इकाई द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई को उत्पादनरत् रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई को सहायता अवधि में तथा इसके पश्चात् आगामी 3 वर्षों तक उत्पादनरत रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू राजस्व की बकाया की तरह इकाई से 12 प्रतिशत दापिङ्क ब्याज सहित वसूल की जावेगी।
- 16.8 इकाई को जिन प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जायेगी उन प्लांट एवं मशीनरी को सहायता की अवधि तथा उसके पश्चात् 3 वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा। इकाई द्वारा स्थापित इकाई के अथवा उसके किसी भाग के अथवा किये गये पूंजी निवेश से निर्मित

प्लांट एवं मशीनरी के स्थान में परिवर्तन अथवा कभी नहीं की जाएगी। निर्मित प्लांट एवं मशीनरी के स्वामित्व में परिवर्तन, सहायता की अवधि एवं उसके पश्चात् 3 वर्षों तक, उद्योग आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति प्राप्त करने पर ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 के अन्तर्गत पूर्व स्थापित इकाई के समस्त दायित्व एवं अधिकार नवीन/परिवर्तित इकाई पर लागू होंगे।

17. अपील

जिला स्तरीय सहायता समिति/महाप्रबंधक के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगे। उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से एक माह के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगे।

18. योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन उद्योग आयुक्त द्वारा दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

19. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग किसी भी समय -

19.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

19.2 इस योजना के प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा,

20. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

सचिव
म.प्र. शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

परिशिष्ट - 1**अपात्र उद्योगों की सूची**

स. क्र.	अपात्र उद्योग
1	बियर और शराब (वाइनरी को छोड़कर)
2	स्लॉटर हाउस और मांस पर आधारित उद्योग
3	सभी प्रकारों के पान मसाला और गुटका विनिर्माण
4	तंबाकू और तंबाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
5	40 माइक्रोन या इससे कम के प्लास्टिक बैग्स का विनिर्माण
6	केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयां
7	स्टोन क्रशर
8	खनिजों की पिसाई
9	राज्य सरकार/राज्य सरकार उपक्रमों के अशोधी/चूककर्ता
10	सभी प्रकार की खनन गतिविधियाँ (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ है)
11	व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ
12	लकड़ी के कोयले (चारकोल) का विनिर्माण
13	खाद्य तेलों की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई) एवं सोयाबीन तेल उत्पादक इकाइयां (रिफाइनरी के साथ)
14	सीमेंट (क्लिंकर सहित) विनिर्माण
15	सभी प्रकार के प्रकाशन एवं मुद्रण प्रक्रियाएं (रोटोग्रेवर/फ्लेक्स प्रिंटिंग को छोड़कर)
16	सोने एवं चांदी के बुलियन से निर्मित आभूषण एवं अन्य वस्तुएं
17	आरा मिल एवं लकड़ी की प्लेनिंग
18	लोहे/स्टील के स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉक्स एवं अन्य किसी आकार में बदलना
	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य कोई उद्योग

प्रशिष्ट - 2**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मैं/हम जिला(मध्यप्रदेश) में ड्रूकाई स्थापित/अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का आशय रखते हैं। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु इकाई/अपेरल प्रशिक्षण संस्थान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई/एजेन्सी/संस्था का नाम :
इकाई/ अपेरल प्रशिक्षण संस्थान
02. इकाई/ अपेरल प्रशिक्षण संस्थान का स्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला
03. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में :
एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत
मेमोरेण्डम पार्ट 2 जमा करने पर दी गई¹
अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
04. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/
डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :
05. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व :
दिनांक

16. औद्योगिक इकाई की स्थिति में

- (i) वाणिज्यिक उत्पादन, प्रारंभ करने का दिनांक :
- (ii) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए स्थायी पूँजी निवेश/यंत्र संयंत्र में पूँजी निवेश की राशि (लाख रुपए में)
- (iii) इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

- (iv) इकाई में प्राप्त कुल रोजगार :
- (v) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन होने पर

विवरण	विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पश्चात)
पूँजी निवेश (लाख रुपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता			
(i)(उत्पाद).....			
(ii)(उत्पाद).....			
(iii)(उत्पाद).....			
(iv)(उत्पाद).....			

अपेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थिति में

- (i) स्थापना का दिनांक (दस्तावेज संलग्न है)
- (ii) प्रशिक्षणार्थी क्षमता (वार्षिक)

07. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) पूंजी अनुदान (नियम-6)

- (i) प्रथम विक्रय के देयक की :
दिनांक (छायाप्रति संलग्न)
- (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी :
अनुमति/ अनापति प्रमाण
पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि
लागू हों)
- (iii) प्लांट एवं मशीनरी पर किये :
गये व्यय की चार्टड
इंजीनियर/चार्टड अकाउन्टेंट
द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय
राशि (प्रमाण पत्र संलग्न)
या
टफस (TUFSS) अंतर्गत मान्य
प्लांट एवं मशीनरी में किया
गया निवेश (दस्तावेज मय
सूची के संलग्न)
- (iv) वित्तीय संस्था का ऋण :
स्वीकृति एवं वितरण सम्बंधी
पत्र।(यदि लागू हों)

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
योग		

टफस (TUFSS) अंतर्गत मान्य
प्लांट एवं मशीनरी में किया
गया निवेश (दस्तावेज मय
सूची के संलग्न)

(ब) परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-8)

- (i) विकसित की गई अधोसंरचना :
का संक्षिप्त विवरण
- (ii) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना
विकसित करने पर दिनांक 1
अक्टूबर, 2014 या उसके
पश्चात एवं इकाई की
वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक
तक चार्टड इंजीनियर/चार्टड
अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित व्यय
राशि (प्रमाण पत्र संलग्न)

(राशि लाख रूपये में)

सड़क निर्माण हेतु
विद्युतीकरण हेतु
जल अधोसंरचना हेतु.....

(स) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-9)

(i) स्थापित की गई अपशि :

प्रबंधन प्रणालियों का संक्षिप्त
विवरण (प्रदूषण नियंत्रण
मण्डल/आौचोगिक स्वास्थ्य एवं
सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण
पत्र संलग्न)

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की
स्थापना पर दिनांक 1 अक्टूबर,
2014 या उसके पश्चात किये
गये व्यय की चार्टड
इंजीनियर/चार्टड अकाउन्टेंट
द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय
राशि (प्रमाण पत्र संलग्न)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
योग		

(द) प्रवेशकर मुक्ति सुविधा (नियम-10)

(i) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त

किया गया TIN व दिनांक
(आयाप्रति संलग्न)

(ii) प्रथम कच्चामाल क्रय दिनांक
(संबंधित देयक की प्रति
संलग्न)

(iii) कच्चामाल/आनुषांगिक माल/
पैकिंग मटेरियल के नाम एवं
वार्षिक मात्रा

क्र.	नाम	वार्षिक मात्रा

(vi) आवेदन दिनांक तक उत्पादन
एवं विक्रय के वर्षवार आंकड़े

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	विक्रय

(इ) वैट एवं सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति (नियम-11)

- (i) क्या इकाई प्राथमिकता विकास :
खण्ड में स्थापित है ? यदि हाँ,
तो विकास खण्ड का नाम
(जिले सहित)
- (ii) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त :
किया गया TIN व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न)
- (iii) वित्तीय वर्ष में राज्य :
शासन के पास जमा की गई¹
शुद्ध कर राशि -(रूपये में)
(दस्तावेज संलग्न)
- (iv) वित्तीय वर्ष में इकाई के :
उत्पादित मुख्य उत्पाद, सह-
उत्पाद (Bye-Product) एवं
उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त
बर्ज्य पदार्थ-(Waste
materials) की मात्रा एवं
विक्रय की राशि (दस्तावेज
संलग्न)
- (v) टेक्सटाइल उद्योगों हेतु (विशेष
टेक्सटाइल पैकेज)
- (1) TUFS अंतर्गत अनुमोदित :
प्लांट एवं मशीनरी में पूँजी
निवेश (लाख रूपये में)
- (2) वित्तीय वर्ष में इकाई :
की गतिविधि का प्रकार
(जो लागू हो)
क/कॉटन जीनिंग -
जीनिंग कॉटन के

अन्तर्राज्यीय विक्रय
करने पर चुकाई गई
सीएसटी की राशि -
(रूपये में)

ख/स्पिनिंग मिल - कॉटन
यार्न के अन्तर्राज्यीय
विक्रय करने पर चुकाई
गई अभिकलित सकल
(computed gross)
सीएसटी की राशि -
(रूपये में)

ग/वस्त्र विनिर्माण इकाई
(वस्त्र कर मुक्त उत्पाद
है) - विनिर्माण इकाई
द्वारा कॉटन यार्न क्रय
करने पर चुकाये गये
वैट की राशि -(रूपये
में)

घ/रेडीमेड गारमेंट/ अपेरल
इकाई - रेडीमेड
गारमेंट/ अपेरल विक्रय
करने पर चुकाये गये
वैट और सीएसटी की
राशि -(रूपये में)

(उपरोक्त हेतु कर पुष्टि दस्तावेज
संलग्न)

(vi) **अन्य उद्योगों हेतु**

जमा किए गए मूल्य संवर्धित
कर और केंद्रीय विक्रय कर की
राशि (रूपये में) (जिसमें
कच्चामाल की खरीद पर मूल्य
संवर्धित कर की राशि शामिल
नहीं है, पर इनपुट टैक्स रिबेट

समायोजन पश्चात्)
 (उपरोक्त हेतु कर पुष्टि दस्तावेज
 संलग्न)

(फ) विद्युत शुल्क में छूट (नियम-12)

- (i) 'हाई टॅशन' (एचटी) कनेक्शन संयोजन का दिनांक व केवी कनेक्शन का प्रकार (33/132/220) (दस्तावेज संलग्न हैं)
- (ii) उपभोक्ता क्रमांक

(ज) मण्डी शुल्क में छूट (नियम-13)

मण्डी समिति से प्राप्त प्रसंस्करण एवं क्रय-विक्रय के वैध लायसेंस का क्रमांक एवं दिनांक (मण्डी समिति से सत्यापित दस्तावेज संलग्न)

(च) अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सहायता (नियम-14)

- (i) म. प्र. शासन से मान्यता का दिनांक (दस्तावेज संलग्न)
- (ii) स्थायी पूँजी निवेश के संबंध में चार्टड एकाउण्टेंट/चार्टड इंजीनियर का प्रमाणपत्र (मदवार व्यय सत्यापन सहित)
- (iii) संस्थान द्वारा आवेदन दिनांक के पूर्व के छ: माहों में दिए गए प्रशिक्षण का संक्षि विवरण (संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत सुविधा/सहायता स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

बोट - जिस सुविधा/सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट - 3

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र
(निर्धारित शुल्क के स्टोम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ /करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा म.प्र. द्वायफेक में "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक में दी गई जानकारी सत्य है।
2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं हैं।
3. विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

या

स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/प्रणालियों आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

4. मैं/हम यह घोषित किसी भी शर्त/प्रावधान का भेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा एवं मैं/हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहेंगे।
5. मैं/हम इकाई को सहायता अवधि में तथा इसके पश्चात कम से कम 3 वर्षों तक उत्पादनरत रखेंगे।
6. इकाई के नियमानुसार कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में सुविधा/सहायता राशि वापसी के लिये प्रमोटर उत्तरदायी रहेंगे।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :-

(सील)

परिशिष्ट - 4**जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र**

क्र.जिपव्याउके/डीएलएसी/

दिनांक

प्रति,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

मेरसर्स

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत सुविधा/सहायता की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत आपका आवेदन दिनांक

विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पर जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक दिनांक में विचार किया जाकर, निम्नानुसार रियायते/सुविधाएँ शर्तों के अध्याधीन स्वीकृति की जाती है :-

अपेरल प्रशिक्षण संस्थान हेतु

1/ एजेन्सी/संस्था को अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु राशि रूपये लाख का पूंजी अनुदान दिया जावे।

इकाई हेतु

1/ पूंजी अनुदान :-

इकाई को राशि रूपये लाख का पूंजी अनुदान दिया जावे।

2/ व्याज अनुदान :-

इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांकसे 5 वर्ष के लिये 2 प्रतिशत की दर से व्याज अनुदान¹ की सुविधा दी जावे, जो रूपये 5.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

या

इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांकसे 5 वर्ष के लिये 5 प्रतिशत की दर से व्याज अनुदान की सुविधा दी जावे, जो रूपये 3/4/5 लाख से अधिक नहीं होगी॥

3/ वैट और सीएसटी प्रतिपूर्ति :-

इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी में मान्य कुल पूँजी निवेश रूपये की सीमा तकवर्ष के लिये कुल मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर (जिसमें कच्चेमाल की खरीद पर मूल्य संवर्धित कर की राशि शामिल नहीं है) की जमा राशि पर इनपुट टेक्स रिवेट समायोजित करने के पश्चात 50 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति की जावे।

या

टफ (TUFS) अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर किये गये निवेश की सीमा तक वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 8 वर्ष के लिये सहायता, जो म. प्र. शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि से अधिक नहीं होगी, दी जावे, जो इकाई के प्रकार अनुसार निम्नानुसार होगी :-

कॉटन जीनिंग - जीनिंग कॉटन को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

स्पिनिंग मिल - कॉटन यार्न को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये अभिकलित सकल सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है) - विनिर्माण इकाई द्वारा कॉटन यार्न क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य।

या/एवं

रेडीमेड गारमेंट/अपेरल इकाई - रेडीमेड गारमेंट/अपेरल विक्रय करने पर चुकाये गये घृट और सीएसटी के समतुल्य।

4/ प्रवेश कर मुक्ति :-

इकाई को प्रथम कच्चामाल क्रय दिनांक से 5 वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक से तक के लिये, प्रवेश कर मुक्ति सुविधा दी जावे।

5/ विद्युत शुल्क से छूट :-

इकाई को के घी. कनेक्शन दिनांक से वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक से तक के लिये, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-23-2013-तेरह, दिनांक 04 मार्च, 2014 की शर्तों के अध्यधीन दी जावे।

6/ मण्डी शुल्क में छूट :-

राशि रु. या वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से पांच वर्ष की अवधि में जमा मण्डी शुल्क (इनमें से जो भी कम हो) में छूट दी जाए।

जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा अनुमोदित

**सचिव
जिला स्तरीय सहायता समिति
मध्यप्रदेश**

**व्याज अनुदान प्राप्त करने के संबंध में बैमासिक पत्रक
(म.प्र. वित निगम/राष्ट्रीयकृत बैंकों/अन्य वितीय संस्थाओं द्वारा वितरित टर्मलोन पर व्याज अनुदान, नियम - 7)**

शाखा का नाम.....

क्र.	वितीय सहायता प्राप्त इकाई का नाम	टर्मलोन स्वीकृति की राशि	बैमास के अंत तक दिनांक घितरण	इकाई का ठत्पादन	ब्याज की दर एवं राशि	टर्मलोन शेष धन राशि	अर्हता की दर	इकाई को प्रदत्त अनुदान राशि	रिमार्क	
									पिछले बैमास के अंत तक	चालू बैमास अंतर्गत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. इकाई द्वारा किश्तों का नियमित भुगतान किया जा रहा है।

2. इकाई द्वारा ब्रह्ण स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप किश्तों का भुगतान किया जा रहा है य उक्त मैं किसी भी प्रकार का दण्ड व्याज शामिल नहीं है।

हस्ताक्षर

प्रबंधक

.....शाखा

म.प्र. वित निगम/राष्ट्रीयकृत बैंक/वितीय संस्था

परिचय - 6

**Quarterly Statement for Claiming Interest Subsidy Sanctioned by M.P. State Government as Special Package for Textile Industry
(Interest Subsidy on the Term Loan Disbursed by M.P. State Financial Corporation/Nationalized Bank/ Other Financial Institutions)**
(Under Rule - 7)

Sl. No.	Name of the unit claiming financial Assistance	Amount of term loan sanctioned	Amount of Term Loan disbursed till the Quarter ending	Date of Production of unit	Opening Balance of Term Loan of the start of quarter (as on	Rate of interest on Term Loan and interest amount during quarter	Subsidy Rate	Interest amount reimbursement required	Remarks
1	2	3(a)	3(b)	4(b)	4(b)	5	6(a)	6(b)	7(a)
								7(b)	7(c)
								8	9
								10	11

1. The company/unit is regular in servicing its Repayment & Interest obligations, as and when due.
2. The company/unit is timely servicing its repayments as per sanction terms and above does not include any kind of penal Interest.
3. The company/unit is regularly repaying Principle & Interest for all the Term Loans (under TUFs) availed from our Financial Institution/bank
4. Interest Subsidy is being claimed for Plant & Machinery eligible under TUFs & does not include any other amount

Seal and Signature of
Financial Institution/bank

परिशिष्ट -**जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र**

क्र.जिव्याउके/डीएलएसी/

दिनांक

//स्वीकृति सह वितरण आदेश//

जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक में दिनांक में लिए गए निर्णय
अनुसार निम्नानुसार ब्याज अनुदान की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

1. इकाई का नाम व पता :
2. नवीन इकाई है अथवा विद्यमान इकाई :
3. यदि विद्यमान इकाई है, तो प्रकार :
(आधुनिकीकरण/शवलीकरण/विस्तार)
4. उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :
5. पात्रता अवधि :
पात्रता की देय अवधि (कब से कब तक)
6. देय ब्याज अनुदान की दर :
7. क्लेम की अवधि (कब से कब तक) : दिनांक से तक
8. टर्मलोन : रु. लाख
या
टेक्सटाईल अपग्रेडेशन फण्ड (TUF)
योजनांतर्गत पात्र टर्मलोन
9. कुल रोजगार :

10. वित्तीय संस्था/बैंक का नाम एवं पूर्ण :
 पता तथा स्वीकृत ब्याज अनुदान
 राशि (संस्थावार)
- (i)
 (ii)
 (iii)
- (II) प्रदेश में नवीन/विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत टेक्स्टाइल परियोजनाओं को "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत उल्लेखित नियम एवं शर्तें इकाई को बंधनकारी होंगे।
- (III) ब्याज अनुदान की राशि का वितरण, पर्यास बजट उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य किसी कारणवश, किश्तों में किये जाने की स्थिति में, इकाई को कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (IV) प्रकरण में ब्रुटिपूर्ण तथ्यों/जानकारी के आधार पर अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में इकाई को भुगतान की गई अनुदान राशि 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी। ऐसा न करने पर राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया की तरह की जायेगी।

महाप्रबंधक,
 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
 , म.प्र.

पृ. क्र.जिव्याउडके/डीएलएसी/

....., दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश, जिला ग्यालियर।
 2/ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जिला।
 3/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत राशि रु. का भुगतान मेसर्स के पक्ष में निम्नानुसार करें :-

अनु क्रमांक	बैंक शाखा का नाम व पता	ब्याज अनुदान की राशि	टर्मलोन खाता क्रमांक	आईएफएससी कोड
1				
2				

4/ मेसर्स की ओर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक,
 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
 , म.प्र.

परिशिष्ट - 8**DISTRICT TRADE & INDUSTRIES CENTRE**

No.- Dated

Exemption from Entry tax under section 10 of Madhya Pradesh Sthanika Kshetra Me Maal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976

Certified that the dealer holding registration No. (TIN) dated under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 issued by the Commercial Tax officer circle is a manufacture in respect of the industrial unit in the name of having his place of business in local area is eligible to avail of the facility of exemption from the payment of entry tax for a period of five years as per the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014. District Level Assistance Committee constituted under the Policy, in exercise of its power of Government under section 10 of *Madhya Pradesh Sthanika Kshetra Me Maal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976* (No. 52 of 1976) hereby grants an exemption to the dealer for the period of five years commencing from and ending on

(2) The dealer has established a new industrial unit/an industrial unit undertaken/expansion/diversification/technical up-gradation in his existing industrial unit and is eligible for availing of the aforesaid facility of exemption in respect of the following raw material and incidental goods consumed or used in manufacture of other goods and packing material used in the packing of the manufactured goods and the raw materials incidental goods and packing materials are specified in the registration certificate under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002

<u>Description</u>	<u>Name of goods</u>	<u>Quantity</u>
(i) Raw material		
(ii) Incidental goods		
(iii) Packing material		

(3) The dealer has effected the first purchase of any of the aforesaid raw materials on

(4) The dealer has commenced production in the new industrial unit/under expansion/diversification/technical up-gradation in existing industrial unit on
.....

(5) This certificate is valid for the period from to (Both days inclusive)

Place : Bhopal

Date :

**Secretary
District Level Assistance Committee
M.P.**

Endt. No./

Bhopal, Dated

Copy forwarded to :-

1. Commissioner Commercial Taxes, MP Indore
2. Commercial Tax Officer, Circle
3. Manager, District Trade & Industries Centre,
4. M/s

**Secretary
District Level Assistance Committee
M.P.**

परिशिष्ट - 9**DISTRICT TRADE & INDUSTRIES CENTRE**

No.-

....., Dated

Certificate of eligibility for exemption of Mandi Fee

The District Level Assistance Committee constituted as per clause 4.3.4 of Industrial Promotion Policy 2014, in exercise of its power under clause 5.5 of the *Madhya Pradesh MSME Protsahan Yojna, 2014* hereby grants exemption to , having Mandi Committee/s valid license no., Dated , located at from payment of Mandi Fee as levied under The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 for a period of five Years commencing from and ending on or Rs., whichever is lower, subject to the following conditions :-

- (i) The exemption shall be made available to those units which purchases agriculture produces of this state.
- (ii) The processor maintains a detailed account of purchases and processing of Agricultural Produce.
- (iii) The exemption will not be available to ineligible industries.

Place :

Date :

**Secretary
District Level Assistance Committee
M.P.**

Endt. No./**Bhopal, Dated****Copy forwarded to :-**

1. Principal Secretary, Govt. of M.P., Farmer Welfare & Agriculture Development Deptt. Mantralaya Bhopal.
2. Managing Director, M. P. State Agriculture Marketing Board, Bhopal.
3. Manager, Krishi Upaj Mandi
4. Manager, District Trade & Industries Centre,
5. M/s